डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-1243 **New Delhi: 22.09.2022**

मौ0 नदीम, पुत्र मौ0 आसिफ
निवासी रेलवे रोड सुभाष चौक
क़स्बा व थाना देवबंद, जिला सहारनपुर
केयर आफ: श्री रजनीश गौतम एडवोकेट
चेम्बर न 7ए, बार रूम के पीछे, सिविल कोर्ट
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9923288777

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: 1. आपका आरटीआई आवेदन दिनांक Nil जो इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2022 को प्राप्त हुआ।

2. आपका आवेदन दिनांक 30.10.2022.

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 13 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
मोबाइल-9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्राक–एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग–VIII

दिनांक: 11.10.2022
19.10.2022

जे.जी.एम. / एडमिन (सीपीआईओ),
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विशयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– निगम मुख्यालय का पत्र सं0 DFCCIL/HQ/Admin/RTI-1243 दिनांक 07.10.2022.

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी है:–

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	श्रीमान जी, उक्त मामले में प्रार्थी को लीगल टाईटल होल्डर मानते हुए प्रार्थी को एवार्ड का भुगतान होने के बाद अब किस आधार पर प्रार्थी का पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन की धनराशि रोकी गई है। क्या एवार्ड का भुगतान करने पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन धनराशि का भुगतान करने की अर्हता के लिए अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी जाती है, इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी विस्तार से लिखित में चाहिए।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डीएफसी की मौलिक पात्रता आर.ए.ए. एण्ड एन.आर.आर.पी. 2011 के अनुसार मौ0 नदीम पुत्र मौ0 आसिफ लीगल टाईटल होल्डर नहीं है। इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के तहत लाभ दिया जाना संभव नहीं है। भूमि प्रतिकर व पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन के भुगतान हेतु अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी जाती है, जिनका विवरण संलग्न है।
2	श्रीमान जी, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अवार्ड धनराशि के भुगतान हेतु अर्हताये और पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन लाभ निर्धारण हेतु अर्हताए एक ही प्रक्रिया में करायी जाती हैं, तो प्रार्थी के उक्त मामले में जानबूझकर क्यों पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार है। उक्त के खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। प्रक्रिया सहित समस्त जानकारी विस्तार से लिखित में चाहिए।	चाही गई जानकारी बिन्दु (1) में उपलब्ध है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

19/10/2022

उप परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य महाप्रबन्धक / डीएफसीआईएल, मेरठ– को सूचनार्थ प्रेषित।
2 जीएम / एमए / ईसी–III – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 जेजीएम / एमए / ईसी–II – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।